न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

अनु.जा.ज.जा. थाना कांड सं. 20/2020

05.06.2021 अनु.जा.ज.जा. थाना कांड सं. 20/2020 अंतर्गत धारा 341,323,324,354, ,504,506/34 भा.दं.वि. एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम में काराधीन अभियुक्त कुमार अरूण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका उर्मिला देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 16.10.2020 को सूबह 9 बजे वह मठतलाब के पूरब अपने खेत में धान का अटिया बॉध रही थी तभी कविता देवी,कुमार अरूण,रविरमन,अकांक्षा कुमारी उर्फ रंगोली,आरोही कुमारी एवं दो अज्ञात व्यक्ति स्कूटर मोटरसायकिल से एकाएक आकर घेर लिये। कविता देवी जातिसूचक शब्द का इश्तेमाल करते हुए बाल पकड़कर जमीन पर पटक दी। अकांक्षा कुमारी एवं आरोही कुमारी एक–एक टॉग पकड़कर खिचने लगी । सूचिका जमीन पर नंगा हो गयी। कुमार अरूण सूचिका का हाथ एवं गाल पकड़कर मारने लगे और साड़ी खीचंकर फाड़ दिये। रविरमन उसकी छाती पकड़कर खींचने लगे जिससे उसका बेलाउज फट गया और छाती कट गया। कविता देवी ऑख पर मारी जिससे ऑख के नीचे चोट लगा। सभी लोग उसे नंगा कर लात मुक्का से मारने लगे तथा जाति का लाम लेकर गाली देते हुए खेत लिखवा लेने की बात कहे। आरोही कुमारी गले से सोने का चैन नोच ली। अकांक्षा कुमारी जान मारने के नियत से गला दबानी लगी। हल्ला पर इनके पति योगेन्द्र राम ,रजवीर कुमार,रिन्की कुमारी,पिन्की कुमारी एवं अन्य लोग आये तो उक्त सभी लोग धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इसंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घटना बतायी गयी है वैसीकोई घटना घटित नहीं हुई है बल्कि आवेदक के पट्टिदार दयाकान्त सिंह आवेदक की कीमती जमीन हड़पना चाहतें हैं और इनके द्वारा एक हकियत वाद सं. 162/2017 दिवानी न्यायालय में दाखिल किया गया है और इसी कारण दयाकान्त सिंह सूचिका एवं अन्य को खड़ा कर यह मुकदमा तथा अन्य मुकदमा दबाव बनाने के उदेश्य से दाखिल करायें है। इनका यह भी तर्क है कि दयाकान्त सिंह एवं उनके गुट के लोग आवेदक के जमीन पर लगे रहर के फसल को चोरी किये परन्तु उनके विरूद्ध शिकायत करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न कर धारा 144 दं.प्र.सं. की प्रकिया हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उसके 12 दिन बाद सूचिका ने यह मुकदमा दाखिल किया तथा सूचिका

05.06.21 के पति महंथ योगेन्द्र राम द्वारा सिसवन थाना कांड सं. 85/2020 दर्ज कराया गया। इनका यह भी तर्क है कि दिनांक 16.10.2020 को आवेदक की पुत्री आरोही कुमारी को सूचक पक्ष द्वारा मारपीट कर गम्भीर जख्म पहुॅचाया गया जिस सम्बंध में एक मुकदमा आवेदक पक्ष की ओर से सिसवन थाना कांड सं. 245/2020 सूचिका के पति एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया गया और उसके पश्चात हीं दयाकान्त सिंह द्वारा एक मुकदमा सिसवन 246/20 तथा सूचिका के पति के व्यवसायिक पार्टनर द्वारा एक मुकदमा सिसवन थाना कांड सं. 244/20 दर्ज कराया गया है। इनका यह भी तर्क है कि वर्ष 2020 से पूर्व का कोई मुकदमा आवेदक के विरूद्ध नहीं हुआ है जो भी मामला दर्ज हुआ है वह सूचिका,उसके पति,सहयोगी एवं दयाकान्त सिंह द्वारा जमीनी विवाद में दबाव बनाने के उदेश्य से लाया गया है। इनका यह भी कथन है कि प्राथमिकी से आवेदक के विरूद्ध धारा 354 भा.दं.वि. अथवा विशेष अधिनियम का आरोप नहीं बनता है क्योंकि प्राथमिकी में आवेदक के साथ उसके परिवार के अव्यस्क बच्चियों को भी अभियुक्त बनाया गया है और बच्चियों के सामने पिता द्वारा छेड़खानी किया जाना संभाव्य नहीं है। इनका यह भी तर्क है कि मामले की सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्य गलत मुकदमा करने के आदी है तथा इनके द्वारा कुल 12 मुकदमा जाति का नाजायज लाभ लेकर भिन्न–भिन्न लोगों पर कियागया है,जिसकी छाया प्रति सूची के साथ दाखिल की गयी है। इनका यह भी तर्क है कि अभिकथित घटनास्थल सूचिका के गॉवसे 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहॉ न तो सूचिका थी, न हीं उसके साथ कोई घटना घटित हुई है। इनका यह भी तर्क है कि इस कांड की प्राथमिकी लगभग 8 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 09.04.2021 से कारा में है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत का लाभ देने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका को जातिसूचक शब्दों का प्रयोगकर छेड़खानी कर उसका साड़ी व्लाउज फाड़कर नंगा करने एवं मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है जिसका समर्थन अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने भी किया है तथा जख्मी का जख्म प्रतिवेदन कंडिका 53 में उल्लेखित है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक के अपराधिक इतिहास का उल्लेख कंडिका 89 में हैं जिसमें कुल तीन मामले पूर्व से दर्ज होना दर्शाया गया है। परन्तु इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जख्मी सूचिका का इलाज दिनांक17.10.2020 को हुआ है तथा चिकित्सक द्व ारा उसके दोनों जख्मों को साधारण प्रकृति का होना पाया है। इस तरह इनकी ओर से जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

सूचिका द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

05.06.21 उपरोक्त तर्कों,तथ्यों,परिस्थितियों, घटना की प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं होने, पक्षों के बीच पलटा मुकदमा दाखिल होने, आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचिका को जातिसूचक शब्द का इश्तेमाल करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, अभिकथित घटना दिनांक 16.10.2020 का बताये जाने परन्तु जख्म प्रतिवेदन के अनुसार घटना के एक दिन बाद दिनांक 17.10.2020 को जख्मी सूचिका का इलाज होने, जख्मी के शरीर पर पाये गये दोनों जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का पाये जाने, आवेदक पक्ष की ओर से दाखिल कागजातों के अनुसार सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अनु.जा.ज.जा. का कई मुकदमा भिन्न–भिन्न लोगों पर कियेजाने, पक्षों के बीच भूमि विवाद होने, आवेदक के कारा में रहने तथा वर्तमान में कोविड 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त कुमार अरूण को मो0 10,000/– रूपये के राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/–

विशेष न्यायाधीश,सीवान